समाहरणालय, मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

-:आदेश:-

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक 172-2 सपत्र, दिनांक 16.07.2014 द्वारा श्री महानंद यादव, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत आलमनगर उत्तरी/ किशनपुर रतवाड़ा, प्रखंड आलमनगर, के कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं सोची-समझी साजिश के तहत पेंशन वितरण की राशि को गायब करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 478, दिनांक 20.08.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही आरोप पत्र प्रपत्र-क संचालन करने का निर्णय लिया गया था एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर को नियुक्त किया गया था।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक 971-2 सपत्र, दिनांक 05.11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत समर्पित अधिगम द्वारा पेंशन की राशि की वसूली श्री यादव, पंचायत सचिव से करने की अनुशंसा की गई है। इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री यादव, पंचायत सचिव को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 04.12.2014 को उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया। उक्त तिथि को आरोपी पंचायत सचिव द्वारा समर्पित साक्ष्य से यह प्रतीत हुआ कि उनके द्वारा एक नये एवं सोचे-समझे तरीके से राशि हरप ली गई है, तदोपरान्त आरोपी को वसूलनीय सरकारी राशि मो0 700000.00 (सात लाख) रूपये सूद सहित दो हफ्ते के अन्दर जमा करने हेतु निदेशित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर ने अपने पत्रांक 1668-2, दिनांक 17.12.2014 द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि आरोपी पंचायत सचिव श्री यादव द्वारा मों0 700000.00(सात लाख) रूपये की राशि प्रखंड नजारत, आलमनगर में जमा कर दिया गया है।

विभगीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त श्री महानन्द यादव, पंचायत सचिव, प्रखंड आलमनगर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 भाग V के नियम 14 के आलोक में दण्डस्वरूप 03(तीन) वार्षिक कालमान वेतन वृद्धियों पर रोक संचयात्मक प्रभाव से स्थगित रहने एवं आरोपी द्वारा जमा की गई राशि पर राशि की निकासी की तिथि से दिनांक 17.12.2014 तक 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से सूद प्रखंड नजारत, आलमनगर में जमा करने तथा कड़ी लिखित चेतावनी सेवा पुस्त में प्रवृष्टि के साथ सजा देने हेतु निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री महानन्द यादव, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, आलमनगर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली 2005 भाग-V के नियम 14 के आलोक में 03(तीन) वार्षिक कालमान वेतन वृद्धियों को संचयात्मक प्रभाव से रोका जाता है एवं इनके द्वारा जमा की गई राशि मो0 700000.00 (सात लाख) रूपये पर राशि की निकासी की तिथि से दिनांक 17.12.2014 तक 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से सूद प्रखंड नजारत, आलमनगर में जमा किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर को निदेश दिया जाता है कि इस आशय की प्रविष्टि श्री यादव की सेवा पुस्त में दर्ज की जाय।

श्री महानन्द यादव, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, आलमनगर को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उच्चाधिकारी के आदेश एवं कार्यालय अन्तर्गत कार्यो के ससमय अनुपालन एवं वित्तीय नियमावली के अधीन वित्तीय संधारण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, अन्यथा सेवामुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 806/पं0, मधेपुरा, दिनांक 30/12/14/2014

प्रतिलिपि :- श्री महानन्द यादव, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, आलमनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। DIO मधेपुरा को website पर प्रकाशन हेतु

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/14

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।